न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), कक्ष संख्या–01/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

परिवाद संख्या–37546/2017

मीना मिश्रा बनाम पूर्णिमा सिंह उर्फ मोना सिंह उर्फ अरुणा सिंह आदि

धारा–420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं.
थाना–पनकी, जनपद–कानपुर नगर।

दिनांक–05.08.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता पूर्णिमा सिंह उर्फ मोना सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–528 BNSS No.–23953/2025 में पारित आदेश दिनांकित–16.02.2026 प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–528 BNSS No.–23953/2025, कु० पूर्णिमा सिंह उर्फ मोना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनाँकित–16.02.2026 की प्रति प्रस्तुत की है। अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश का सत्यापन कम्प्यूटर अनुभाग कानपुर नगर से करा लिया गया है।

सुना तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित सम्मानित आदेश का अवलोकन किया तथा कम्प्यूटर अनुभाग से सत्यापित कराया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण उपरोक्त में अभियुक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अंतर्गत धारा–528 BNSS No.–23953/2025, कु० पूर्णिमा सिंह उर्फ मोना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित किया। जिसपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाँकित–16.02.2026 में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं **"the entire criminal proceedings along with summoning order dated 03.10.2018 passed by the Additional Chief Judicial Magistrate–7, Kanpur Nagar in Complaint Case No. 37546 of 2017 (Smt. Meena Mishra Vs. Km. Purnima Singh @ Mona Singh and others) under Sections 420, 406, 467, 468, 471, 120–B I.P.C., Police Station Panki, District Kanpur Nagar, pending in the court of learned Special C.J.M. Kanpur Nagar are hereby, quashed in terms of the compromise."**

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाँकित– 16.02.2026 द्वारा प्रकरण उपरोक्त की सम्पूर्ण कार्यवाही को खण्डित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर रखा जाए।

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही को खण्डित कर दिया गया है। अतः ऐसे में पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने योग्य है।

आदेश

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायहित में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में प्रस्तुत उपरोक्त वाद की कार्यवाही खण्डित की जाती है। अभियुक्ता के बंधपत्र निरस्त एवं प्रतिभूगण (यदि कोई हो) को उन्मोचित किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी लाल स्याही से संबंधित प्रपत्रों में अंकित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

(कर्णिका अवध)
अपर सिविल जज (सी०डि०), कक्ष संख्या–01, /
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
J.O. Code. UP2300

Digitally signed by KURNIKA AWADH
Date: 2026.08.06 14:34:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court